कार्यालय वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, उ0प्र0, बाँदा

पत्रांक 5487/ 321 / दिनांकः बाँदाः : मार्च 28, 2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बाँदा वन वन्य जीव प्रभाग, बाँदा।

विषय :– जनपद–बाँदा में राजमार्ग सं0–49 (अतर्रा से नरैनी–करतल) के किमी0 75.00 से किमी0 117.00 राज्य मार्ग सं0—13 इ बाँदा–पपरेन्दा (बाँदा–बहराइच रोड) के किमी0 319.00 से किमी 302.00 एवं एम0डी0आर0–40 (पपरेन्दा–तिन्दवारी) के किमी0 0.00 से किमी 12.00 तक कुल लम्बाई 71.00 किमी0 एवं 0.7481 हे0 वन भूमि में भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने के सम्बन्ध में ऑन लाइन प्रस्ताव सं0–FP/Up/Others/31675/2018 dated 03-02-2018 का प्रेषण।

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक–4319 / 33–1 दिनांक 12.03.2018 एवं पत्रांक–4373 / 33–1 दिनांक 16.03.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित प्रस्ताव का परीक्षण करने पर निम्न कमियां पाई गई हैं। उक्त कमियों की आप द्वारा भी अनदेखी की गयी है, उक्त कमियां निम्नवत् है।

1– प्रस्ताव में संलग्न अभिलेख पेज सं0–28, 29, 31, 32, 33 की छायाप्रति काली है जो पढ़ने में नही आ रही है साफ कापी कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर प्रेषित करें।

2– भूमि स्वामित्व पी0डब्लू0डी0 के मात्र एक मार्ग अतर्रा से नरैनी–करतल की एन0ओ0सी0 संलग्न है जिसमें यह अंकित है कि उनके द्वारा अंकित धनराशि जमा होने के बाद एन0ओ0सी0 दिया जाना संभव होगा।

3– अन्य 02 मार्गो की एन0ओ0सी0 पी0डब्लू0डी0 द्वारा जारी संलग्न नही है। उनको संलग्न करें।

4– जिलाधिकारी द्वारा जारी वनाधिकारी अधिनियम–2006 का प्रमाण पत्र संलग्न नही, मात्र अन्डर टेकिंग संलग्न है जो मान्य नही है।

5– आप द्वारा निर्धारित प्रारूप में रिकमण्डेशन रिपोर्ट संलग्न नही है।

उपरोक्त कमियों को पूर्ण करने हेतु प्रस्ताव की 04 प्रतियां मूल में वापस की जा रही है। शीघ्र कमियों का बिन्दुवार निराकरण कर पुनः प्रस्ताव प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार मूल 04 प्रतियों में।

भवदीय

(भीमसेन)
वन संरक्षक,
चित्रकूटधाम वृत्त, बाँदा